संख्या-04/2017/1181/12-4-16-409/2015

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 07 फरवरी, 2017

विषय :- श्री राम औतार वर्मा, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, उप कृषि निदेशक, सीतापुर की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ए0सी0 (4)/2543/चि0प्र0पू0-267/अग्रिम, दिनॉक 29-09-2016 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राम औतार वर्मा, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, उप कृषि निदेशक, सीतापुर का प्रदेश के बाहर मेदान्ता लीवर इन्स्टीटयूट, गुडगॉव, हरियाणा में दिनॉक 12-05-2015 से दिनॉक 12-06-2015 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 14,00,000/- (रूपये चौदह लाख मात्र) में से पूर्व स्वीक़त अग्रिम धनराशि रू0 10,05,00/-(रूपये दस लाख पॉच हजार मात्र) का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि रू0 3,95,000/- (रूपये तीन लाख पन्चान्नबे हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-विस्तार तथा किसानो का प्रशिक्षण-03-कृषि प्रसार परियोजना तथा प्रदर्शनियॉ-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-G(2) 73/x/2017, दिनॉक 02 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

संलग्नक-यथोपरि।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-04/2017/1181(1)/12-4-2016, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
(3) कोषाधिकारी, सीतापुर / उप कृषि निदेशक, सीतापुर ।
(4) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2,
(6) श्री राम औतार वर्मा, प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी, उप कृषि निदेशक, सीतापुर ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।